MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF NOVEMBER, 2016

(1) Circulars: -

No circular was issued during the month of November, 2016.

(2) Notifications:-

(i) The Ministry, vide notification no. G.S.R. 1049(E) dated 07.11.2016, has amended Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, allowing certification of AOC-4 by Company Secretaries and Cost Accountants also in addition to Chartered Accountants. Further, a fee for surrender of Director Identification Number (DIN) has also been prescribed.

(ii) The Ministry, vide notification no. G.S.R. 1075(E) dated 17.11.2016, has amended Schedule II to the Companies Act, 2013, to provide for application of Ind AS standards to the cases of amortization of intangible assets (Toll Roads) under BOT, BOOT and PPP models for companies which are mandated to follow Ind AS.

(iii) The Ministry, vide notification no. G.S.R. 3464(E), dated 17.09.2016, has designated Court of District and Sessions Judge, Shillong as Special Court for providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नवंबर, 2016 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) परिपत्र

नवबंर, 2016 माह के दौरान कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया।

(2) अधिसूचनाएः

(i) मंत्रालय ने दिनांक 07.11.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1049(अ) द्वारा चार्टर्ड अकांउटेंटों के अतिरिक्त कंपनी सचिव और लागत लेखाकारों द्वारा भी एओसी-4 के प्रमाणन की स्वीकृति देते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) छोड़ने के लिए एक फीस भी निर्धारित की गई है।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 17.11.2016 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1075(अ) द्वारा उन कंपनियों जो इंडएएस को अपनाने के लिए अधिदिष्ट हैं, के लिए बीओटी, बीओओटी और पीपीपी मोडल के तहत अमूर्त आस्तियों (टोल रोड़) की ऋण मुक्ति के मामलों पर इंडएएस मानक लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में संशोधन किया है।

(iii) मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3464(अ) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दो या अधिक वर्षों के कारावास से दंड दिए जाने योग्य अपराधों को तीव्र सुनवाई के लिए जिला और सत्र न्यायालय शिलांग को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है।